

पेश हुआ। कैविएट प्रार्थना पत्र को दाखिल हुए 90 दिन की अवधि आज पूर्ण हो गयी है। पक्षकारों के मध्य कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज (सी0डि0),  
मिर्जापुर।